Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन [illegible] पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00022 (22/2020) 75 एलआरएक्ट

इनायत खां पुत्र [illegible] साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. विमला देवी पत्नी बद्रीप्रसाद जाति माली साकिन वार्ड नं. 23 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—असल रेस्पोडेण्ट

3. जीवण खां पुत्र झिण्डू खां जाति क्यामखानी साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. कासम खां पुत्र झिण्डू खां जाति क्यामखानी साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. श्योकतअली पुत्र नानू खां जाति क्यामखानी साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. बाबू लाल पुत्र नानू खां जाति क्यामखानी साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रमेश पत्नी दलीप जाति जाट साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.11.2002 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 8/2002 बअनवानी विमला देवी बनाम बद्री प्रसाद आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री हवा सिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 18:04:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः— 09.6.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पेडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र भूमि आवंटन के संबंध में पेश किया, जिसमें रोही मौजा चक नं. 8 बारानी कुल 17 बीघा भूमि को आवंटन किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय के द्वारा आवंटन आदेश जारी किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य तरतीबी रेस्पोडेण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया कोई नोटिस जारी नही किया गया। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 7 चिपते कास्तकार हैं एवं प्रश्गनत भूमि को आवंटित करवाने की पात्रता रखते हैं। चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। चक 8 बारानी में रेस्पोडेण्ट सं0 1 का कोई रकबा नही है हल्का पटवारी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने 21.01.2020 को ऐलानिया धमकी दी कि मु0 नं0 32 का किला नं. 16 मैने आवंटन करवा लिया है आप से जबरन कब्जा प्राप्त करें तो उसी समय अपीलाण्ट ने अदालत आकर आवंटन बाबत जानकारी प्राप्त की और वकील से सम्पर्क किया। और बिना किसी देरी के अपील पेश की है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होने के कारण वह एक आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है, जिसके लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.09.2002 के आधार पर अन्य काई आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हेतु आवेदन प्राप्त नही होने रेस्पो0 सं0 1 को भूमि का आवंटन दिनांक 23.11.2002 को किया गया है। अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध पूर्व में राज्य पक्ष की और से अपील सं0 184/2003 व 100/2003 पेश की गई, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 04.02.2004 से रेस्पो0 सं0 1 के हक में प्रश्गनत भूमि का आवंटन को बहाल रखा गया है, जिससे व्यथित होकर राज्य पक्ष द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी गई एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2013 से भी अपीलाधीन आवंटन बहाल रहा है। रेस्पोडेण्ट को प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। प्रश्गनत भूमि आराजी राज होने एवं आवंटन योग्य होने से रेस्पाडेण्ट को आवटित की गई थी। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होने के मिथ्या कथन किये हैं। पत्रावली में खेत पड़ौसी द्वारा दिया गया शपथ–पत्र से रेस्पो0 सं0 1 के कब्जे की ताईद होती है। अपीलाण्ट व्यथित पक्षकार नही है ना ही अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय अंतिम हो चुका है एवं उस निर्णय में मर्ज हो चुका है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2019 आरबीजे पेज 20, 2015 आरआरटी पेज 232 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. विचारण न्यायालय द्वारा अन्य काई आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त नही होने रेस्पो0 सं0 1 को भूमि का आवंटन दिनांक 23.11.2002 को किया गया है। अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध पूर्व में राज्य पक्ष की और से अपील सं0 184/2003 व 100/2003 पेश की गई, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 04.02.2004 से रेस्पो0 सं0 1 के हक में प्रश्गनत भूमि का आवंटन को बहाल रखा गया है जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य पक्ष द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2013 से भी अपीलाधीन आवंटन बहाल रहा है। आवंटन के समय प्रश्नगत भूमि आराजी राज थी। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त हो ऐसा कोई दस्तावेजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karan Singh Poonia
Date: 2023.07.13 18:04:43 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य अपीलाण्ट ने पेश नही किया है। पत्रावली में खेत पड़ौसी द्वारा दिया गया शपथ–पत्र से रेस्पो[illegible] का ही कब्जा होना साबित करता है। इसलिए अपीलाण्ट प्रभावित [illegible] नहीं है ना ही अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। माननीय [illegible] अंतिम हो चुका है एवं उस निर्णय में मर्ज हो चुका है। [illegible] अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जाने योग्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:43 IST
Reason: SelfAttested

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

निर्णय आज दिनांक 09.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/6/22
(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ